

इसे वेबसाइट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 अगस्त 2015—श्रावण 23, शक 1937

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क) — कुछ नहीं

भाग ४ (ख) — कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2015

अधिसूचना क्र.-भ.स.क.म.म-2015-7995.—मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की अधिसूचना क्रमांक भ.स.क.म.-2014-2348, दिनांक 18 जुलाई 2014 द्वारा मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना प्रकाशित की गई है। मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 278 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना 2004 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:—

अर्थात् —

- (1) योजना की कंडिका 6 “अंत्येष्टि सहायता” हिताधिकारी निर्माण श्रमिक की स्वयं की मृत्यु के तत्काल पश्चात् रूपये 3000 अंत्येष्टि सहायता दी जावेगी.

के स्थान पर—

“अंत्येष्टि सहायता” हिताधिकारी निर्माण श्रमिक की स्वयं की मृत्यु के तत्काल पश्चात् रूपये 5000 अंत्येष्टि सहायता दी जावेगी। स्थापित किया जाता है।

(2) योजना की कंडिका 7(2) की पंक्ति “दुर्घटना में मृत्यु होने पर रूपये 1 लाख”

के स्थान पर—

“दुर्घटना में मृत्यु होने पर रूपये 2 लाख” स्थापित किया जाता है।

(3) योजना की कंडिका 9 की पंक्ति “मृत्यु के तीन माह तक प्राप्त आवेदन ही स्वीकृति योग्य होंगे”

के स्थान पर—

मृत्यु के छह माह तक प्राप्त आवेदन ही स्वीकृति योग्य होंगे। स्थापित किया जाता है।

एस. एस. दीक्षित, सचिव.